

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 21 जनवरी, 2008 को अपराह्न 12.00 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 21वीं (21वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 21 जनवरी, 2008 को अपराह्न 12.00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए 428 औपचारिक अनुमोदनों में से अब तक 194 एसईजेड अधिसूचित हो चुके हैं। इन एसईजेड में 52193 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। 2000-2005 की अवधि के दौरान स्थापित 12 एसईजेड सहित नई पीढ़ी के विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा 94000 से अधिक व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्रदान किया गया है। यह केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित 7 एसईजेड द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अलावा है जो 1.81 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए है।

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. ग्राम सवरोली और धमनी, तालुक खालापूर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जुवेंटस बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सवरोली और धमनी, तालुक खालापूर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जुवेंटस बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि अंतिम अधिसूचना से पूर्व राज्य सरकार की सहमति प्राप्त की जा सकती है ताकि सुनिश्चित हो कि बीटीएएल अनुमति प्रदान की गई है।

2. ग्राम शिवकर और चिकाले, तालुक पानवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स फामा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम शिवकर और चिकाले, तालुक पानवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स फामा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन

औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि अंतिम अधिसूचना से पूर्व राज्य सरकार की सहमति प्राप्त की जा सकती है ताकि सुनिश्चित हो कि बीटीएएल अनुमति प्रदान की गई है।

3. सर्वे नंबर 27, गिरनेर, पैथान रोड, औरंगाबाद पानवेल, महाराष्ट्र में 10.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स राजीव गांधी आईटी पार्क कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड औरंगाबाद, महाराष्ट्र का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 27, गिरनेर, पैथान रोड, औरंगाबाद पानवेल, महाराष्ट्र में 10.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स राजीव गांधी आईटी पार्क कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड औरंगाबाद, महाराष्ट्र द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. ग्राम मोरखल सिलवासा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली में 12.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एईसी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है और यह कि राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम मोरखल सिलवासा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली में 12.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एईसी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. प्लॉट नंबर 001, सेक्टर 143ए, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सर्वमंगल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लॉट नंबर 001, सेक्टर 143ए, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 10.045 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सर्वमंगल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. प्लाट नंबर 202, सेक्टर केपी-V, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 40.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के साथ आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया था परंतु केवल 33 हेक्टेयर की भूमि पर उसका कब्जा था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 202, सेक्टर केपी-V, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. प्लाट नंबर 3, सेक्टर 140-ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जुबिलेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 10.17 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 3, सेक्टर 140-ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जुबिलेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. प्लाट नंबर बी-25, शंद्रा फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र में 11.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर बी-25, शंद्रा फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र में 11.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त और इस शर्त के अधीन भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक एसईजेड के लिए भूमि के प्रयोग में प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में एमआईडीसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

9. भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोल्डसॉक

**इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 11) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गोल्डसॉक इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**10. हल्दिया, पश्चिम बंगाल में 45.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 3 - क्रमांक 1) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। बैठक में उपस्थित राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने विशेष रूप से सूचित किया कि भूमि अधिग्रहण को लेकर कोई विवाद नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और हल्दिया, पश्चिम बंगाल में 45.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

**11. बीकानेर, राजस्थान में 103.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 3 - क्रमांक 2) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और बीकानेर, राजस्थान में 103.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

**(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :**

1. झज्जर जिला, हरियाणा में 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने झज्जर जिला, हरियाणा में 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. ग्राम शिवकर और चिकाले, तालुक पानवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जीयस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1- अनुबंध 1 - क्रमांक 1) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. बी-2 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), वरोरा विकास केंद्र, वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 102.1592 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 2) :

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि विद्युत एसईजेड के मुद्दे पर कुछ ब्यौरे तैयार किए जाने हैं। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. सेक्टर 143ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.0256 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. लखनऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 23.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर कब्जा के मुद्दे पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5. लखनऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 12.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर कब्जा के मुद्दे पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

6. ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 40.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

7. राजस्व ग्राम बबरा बंकीपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में 24.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स / आईटी और आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वेलगो बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - अनुबंध 2 - क्रमांक 10):

राज्य सरकार ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 2 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध**

(i) भिवाड़ी, राजस्थान में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सोमानी वर्सटेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक के प्रतिनिधि ने विषय पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 1 के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक के प्रतिनिधि ने विषय पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने सूचित किया कि एसईजेड 23.45 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला होगा और निर्मित क्षेत्र लगभग 3 लाख वर्गमीटर अर्थात आईटी एसईजेड के लिए 1 लाख वर्गमीटर की न्यूनतम सीमा से तीन गुना होगा। प्रक्षेपित रोजगार 31,500 होगा। इसलिए, उनको 75000 वर्गमीटर में सर्विस अपार्टमेंट, 50000 वर्गमीटर में आवासीय अपार्टमेंट जैसी सामाजिक अवसंरचना के आनुपातिक विकास की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने संपूर्ण आवश्यकता के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया क्योंकि उनको परियोजना की आर्थिक लाभप्रदता के लिए शुरुआती चरण पर ही गतिविधियों की योजना बनानी होगी, भले ही वास्तविक निर्माण चरणबद्ध ढंग से हो। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अनुमोदन बोर्ड को प्रक्षेपित रोजगार या कुल निर्मित क्षेत्र पर ध्यान दिए बगैर आंतरिक न्यूनतम दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। निर्णय लिया गया कि इस समय अनुबंध 2 के अनुसार मात्रा अनुमोदित की जा सकती है। प्रक्षेपित रोजगार तथा निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर सामाजिक अवसंरचना की मात्रा को मंजूरी प्रदान करने का बड़ा मुद्दा निर्णय के लिए ईजीओएम के समक्ष रखा जा सकता है।

**(iii) चिंतावरम गांव, चिल्लाकरू मंडल, नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मैस फैब्रिक पार्क इंडिया लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक के प्रतिनिधि ने विषय पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 3 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(iv) राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स यूनिटेक हाईटेक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 4 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(v) डुंडाहेरा गांव, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 5 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(vi) द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अधिकांश गतिविधियां डिफाल्ट सूची के अंतर्गत आती हैं जिसके लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 6 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(vii) पंजाब में फर्मास्युटिकल एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रैनबैकसी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक का अनुरोध विकासक के रूप में प्रसंस्करण क्षेत्र में अपनी स्वयं की फर्मास्युटिकल यूनिटों को औद्योगिक अवसंरचना की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत गतिविधियों के अनुमोदन के लिए है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने यह राय व्यक्त की कि विकासक द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई अवसंरचना गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में होनी चाहिए और विकासक ये अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में दूसरी यूनिट स्थापित कर सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने मुद्दे की जांच होने तथा निर्णय लिए जाने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**(viii) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 7 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ix) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 8 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(x) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डायनेस्टी डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अधिकांश गतिविधियां डिफाल्ट सूची के अंतर्गत आती हैं जिसके लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि शेष गतिविधियां आस्थगित की जाएं और विकासक से मात्रा का उल्लेख करने और अनुमोदन बोर्ड से संपर्क करने के लिए कहा जाए।



### मद संख्या 3 : सह विकासक के लिए प्रस्ताव

(i) कुसुमागिरि, कक्कानाड गांव, एर्नाकुलम, केरल में इनफोपार्क द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि पट्टा करार में 90 साल की पट्टा अवधि का उल्लेख है। उन्होंने बताया कि पट्टा की अवधि से संबंधित मुद्दा पिछली बैठक में उस समय उठा था जब 999 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए एक अनुरोध पर चर्चा हो रही थी। सीबीडीटी ने अनुरोध किया कि पट्टा की अवधि एवं शर्तों के संबंध में मानदंड तैयार करने होंगे। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस निर्देश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि पट्टा की शर्तों एवं अवधि के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

(ii) वल्लारपदम, कोचीन, केरल में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक / पट्टा करार के नियम एवं शर्तें स्पष्ट नहीं हैं। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस निर्देश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि निजी सुनवाई के लिए दोनों पक्षों अर्थात् विकासक एवं सह विकासक को बुलाया जाए।

(iii) बंटाला, गंगापुर, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एस्टेक इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निदेश दिया।

(iv) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इनफोपाक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स विगनेश हाइटेक सिटी-2 सोसाइटी, मैसर्स अविनाश हाइटेक सिटी-2 सोसाइटी और मैसर्स गंगा हाइटेक सिटी-2 सोसाइटी के अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह अनुरोध 3 सोसाइटी को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए है। तीन सोसाइटी के सदस्यों के साथ विकासक द्वारा किए गए करार के अनुसार 37.5 प्रतिशत

निर्मित क्षेत्र इन सोसाइटी के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि के विकास के बदले में सोसाइटी को सौंपा जाएगा। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि चूंकि उक्त सोसाइटी सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों का संचालन नहीं करेगी इसलिए उनको सह विकासक का दर्जा प्रदान करना संभव नहीं हो सकता है। चूंकि विकासक निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य पहले से कर रहा है इसलिए सह विकासक के रूप में 3 सोसाइटी की भूमिका स्पष्ट नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने महसूस किया कि विकासक मुद्दे की और जांच कर सकता है तथा कंपनी शेयर के आवंटन के रूप में या लाभ साझा करने के अन्य साधनों के माध्यम से इन सोसाइटी के सदस्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए अन्य तरीके एवं उपाय अपना सकता है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के अनुरोध को वापस लिए गए अनुरोध के रूप में समझने का निर्णय लिया तथा निदेश दिया कि विकासक उपयुक्त प्रस्ताव के साथ अनुमोदन बोर्ड से संपर्क करे।

#### **मद संख्या 4 : सेक्टर में परिवर्तन**

(i) **कल्याणबिल / मोतियागाचा, पश्चिम बंगाल में एसईजेड का सेक्टर बहु उत्पाद से बदलकर एकल उत्पाद करने के लिए मैसर्स वीडियोकॉन रियल्टी एवं इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक का अनुरोध सेक्टर को बहु उत्पाद से बदलकर आईटी सेक्टर करने के लिए है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। चूंकि आईटी एसईजेड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) **अंबरनाथ, महाराष्ट्र में एसईजेड का सेक्टर आईटी / आईटीईएस से बदलकर बायोटेक करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अंबरनाथ, महाराष्ट्र में एसईजेड का सेक्टर आईटी / आईटीईएस से बदलकर बायोटेक करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) **चाकन, पुणे, महाराष्ट्र में आरएंडडी एसईजेड का सेक्टर बदलने के लिए एमआईडीसी का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने चाकन, पुणे, महाराष्ट्र में एसईजेड का सेक्टर आरएंडडी से बदलकर इंजीनियरिंग करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

#### **मद संख्या 5 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध**

**(i) रत्नागिरि, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए एमआईडीसी का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने रत्नागिरि, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल एसईजेड का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर से घटाकर 141.69.2 हेक्टेयर करने के लिए एमआईडीसी के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक द्वारा इस प्रकार हटाए गए क्षेत्रफल के संबंध में कोई कर लाभ प्राप्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई लाभ लिया गया है तो उन्हें वापस करना होगा। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह केवल औपचारिक अनुमोदन था तथा अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

**(ii) गुजरात में तेल एवं गैस, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए उत्पाद एवं संबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गुजरात में तेल एवं गैस, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए उत्पाद एवं संबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन का क्षेत्रफल 220 हेक्टेयर से बढ़ाकर 450 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 6 : कोलकाता, पश्चिम बंगाल में लेदर सेक्टर एसईजेड के घटाए गए क्षेत्रफल की अधिसूचना के लिए मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह मामला एसईजेड नियमावली के नियम 5 (3) और अनुबंध 2 के अंतर्गत आता है, जिसे अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय के लिए मामले को अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के समक्ष लाया जाए।

**मद संख्या 7 : गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन को एसपीवी कंपनी के नाम में हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि एसपीवी कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न की जांच की गई है जिससे पता चलता है कि एसपीवी पर मूल आवेदक कंपनी का 100 प्रतिशत स्वामित्व है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि हालांकि उनको इस विशिष्ट मामले में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु एसपीवी कंपनी, सहायक कंपनी आदि को अनुमोदन अंतरित के मामलों पर विचार करने के लिए प्रबंधन (निदेशक) और शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के संबंध में सामान्य मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन को एसपीवी कंपनी अर्थात् मैसर्स अंसल एसईजेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान

21 जनवरी, 2008 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

करने का निर्देश दिया कि विकासक प्रबंधन (निदेशक) और शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मानदंडों को अंतिम रूप दिए जाने पर उनका पालन करेगा।

### **सारणी एजेंडा**

#### **मद संख्या 1 : विद्युत संयंत्र की क्षमता में सुधार के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

02 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में 50 केवी का विद्युत उत्पादन संयंत्र सहित अधिकृत गतिविधियों के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई थी। तथापि, इसके बाद विकासक से एक अनुरोध प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि टंकण की चूक के कारण संयंत्र की 50 मेगावाट के स्थान पर 50 केवी लिख दी गई। अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अनुरोध का औचित्य प्रदान करने के लिए विकासक को बुलाया जा सकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

सोमानी वर्सटेड लिमिटेड, राजस्थान

क्र. सं.	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमोदित गतिविधियां / मर्दे	क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा
1.	आवासीय अपार्टमेंट	100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्रफल वाले 1000 अपार्टमेंट कुल निर्मित क्षेत्रफल 100,000 वर्गमीटर होगा।
2.	सर्विस अपार्टमेंट	100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्रफल वाले 250 सर्विस अपार्टमेंट कुल निर्मित क्षेत्रफल 25000 वर्गमीटर होगा।
3.	रिटेल स्पेस	1000 वर्गमीटर से अधिक नहीं

**अनुबंध 2**

**डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा**

क्र. सं.	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां / मर्चे	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	सर्विस अपार्टमेंट	100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्रफल वाले 250 सर्विस अपार्टमेंट कुल निर्मित क्षेत्रफल 25000 वर्गमीटर होगा।
2.	आवासीय अपार्टमेंट	100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्रफल वाले 1000 अपार्टमेंट कुल निर्मित क्षेत्रफल 1 लाख वर्गमीटर होगा।
3.	शॉपिंग अर्काडे / रिटेल स्पेस	2,000
4.	कार्यालय स्थान	3,000
5.	10 बिस्तर वाला अस्पताल सहित क्लीनिक / चिकित्सा केंद्र	1,000
6.	डे केयर के साथ प्राइमरी स्कूल	5,000

मैस फैब्रिक पार्क इंडिया लिमिटेड, आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां / मर्दें	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	प्रशासनिक भवन	3,000
2.	सीमा शुल्क कार्यालय	1,000
3.	इनवेस्टर्स सर्विस सेंटर	1,000
4.	पार्क प्रबंधन और सुरक्षा कार्यालय	500
5.	आवास	चरण 1 में 100 वर्गमीटर के औसत क्षेत्रफल के साथ 3,000 यूनिटें
6.	सर्विस अपार्टमेंट	1,500
7.	क्लीनिक / मेडिकल सेंटर	1,000
8.	स्कूल / तकनीकी संस्थान / शैक्षिक संस्थान	4,500
9.	व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र	2,500
10.	क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	5,000
11.	बैंक	500
12.	डाक घर	300
13.	क्रेच	1,000
14.	पुस्तकालय	500
15.	साड़ी रसोई	2,500
16.	विकेंद्रीकृत कैंटीन / कैफटीरिया	3,000
17.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	10 मेगावाट
18.	प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली	प्रशासनिक भवन के अंदर स्थित होगा
19.	फायर स्टेशन (फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो प्रत्येक भवन का अभिन्न अंग होगा)	500

यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल

क्र. सं.	प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां / मर्दे	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)	1,82,000
2.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं तथा ईंधन भंडारण की सुविधाओं सहित)	केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए 54 मेगावाट
3.	हेल्थ क्लब, योग क्लास रूम, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल सहित मनोरंजन की सुविधाएं	2,000
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	6,000
5.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र	1,000
6.	शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज	5,00
7.	व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र	1,500
8.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	1,000
9.	वाई फाई / वाई मैक्स सेवाएं	1,000
10.	ड्रिप एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां	-



गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड, हरियाणा

क्र. सं.	प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां / मर्दें	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)	1,96,375
2.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं तथा ईंधन भंडारण की सुविधाओं सहित)	केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए 34 मेगावाट
3.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	1,300
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	3,900
5.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र	1,750
6.	शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज	300
7.	व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र	1,500
8.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	1,000
9.	वाई फाई / वाई मैक्स सेवाएं	750
10.	ड्रिप एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां	-

नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र

प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां

क्र. सं.	मद / मात्रा
1	कस्टम बांडेड एरिया में कार्यालय (4000 वर्गमीटर)
2	सामूहिक शयन कक्ष (1000 वर्गमीटर)
3	मजदूरों के मकान (12000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के अंदर 2500 मकान)

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां

क्र. सं.	मद / मात्रा
1	पावर प्लांट (कैप्टिव प्रयोग के लिए 50 मेगावाट)
2	डाक / तार घर - 1000 वर्गमीटर
3	बैंक - 1000 वर्गमीटर

न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई

क्र. सं.	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां / मर्दे	क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा
1.	आवास	अधिक से अधिक 7,50,000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 7,500 मकान
2.	स्कूल सह शैक्षिक संस्थाएं	निर्मित क्षेत्रफल 25,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए
3.	होटल सह सर्विस अपार्टमेंट	अधिक से अधिक 10,000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में 100 कमरे
4.	हॉस्पिटल सह पॉलीक्लीनिक	100 से अधिक बिस्तर नहीं होने चाहिए
5.	एक मल्टीप्लेक्स सह शॉपिंग सेंटर सह कार्यालय स्थान	50,000

न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई

क्र. सं.	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां / मर्दे	क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा
1.	आवास	अधिक से अधिक 7,50,000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 7,500 मकान
2.	स्कूल सह शैक्षिक संस्थाएं	निर्मित क्षेत्रफल 25,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए
3.	होटल सह सर्विस अपार्टमेंट	अधिक से अधिक 10,000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में 100 कमरे
4.	हॉस्पिटल सह पॉलीक्लीनिक	100 से अधिक बिस्तर नहीं होने चाहिए
5.	एक मल्टीप्लेक्स सह शॉपिंग सेंटर सह कार्यालय स्थान	50,000